

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: स.27(3)(2) पदो./अभि/2024/ जयपुर, दिनांक: हस्ताक्षरित
आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में संस्थापन अधिकारी की वर्ष 2024-25 की विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही का पुनर्विलोकन(Review) करने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर निम्न प्रशासनिक अधिकारी को संस्थापन अधिकारी (Pay Matrix L-16) के पद पर वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

क्र0स0	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया
1.	श्री भवानी शंकर शर्मा	UR	01-04-2024

- उपरोक्त के अतिरिक्त रिक्त विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर श्री रामावतार मीणा, अ.ज.जा (अनारक्षित वर्ग की रिक्ति के विरुद्ध चयनित) का चयन संस्थापन अधिकारी के पद पर वर्ष 2024-25 से निरस्त किया जाता है।
- उपरोक्त चयनित अधिकारी रिक्ति की तिथि से पदोन्नति का पात्र है पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे। चयन व निरस्ती के फलस्वरूप पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जायेगे।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव,निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
- संयुक्त निदेशक अभियोजन ।
- उप निदेशक अभियोजन, ।
- संस्थापन शाखा मंत्रालयिक वरिष्ठ अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
- सम्बन्धित अधिकारी.....द्वारा:-कार्यालयाध्यक्ष ।
- रक्षित पत्रावली ।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

